न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—6 / 2022 (2022 / 36) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता मिठु कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः—7 / 2022 (2022 / 37) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अणछीदेवी पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1— लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः—8 / 2022 (2022 / 38) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्रेमचन्द पिता अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1— लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः—9 / 2022 (2022 / 39) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—केसरदेवी पत्नि जेठमल कुमावत निवासी चिलेश्वर का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1— लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन—

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—20.07.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 1182 में अंकित आ. सं. 4706 / 4676 रकबा 0.58 हैक्ट कुल किता 1 कुल रकबा 0.58 हैक्ट, भूमि स्थित है। उक्त आराजी में से 0.17 हैक्ट भूमी प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिससे उक्त आराजी का 0.17 हैक्ट का अलग स्वतंत्र नम्बर व रकबा तथा राजस्व खाता कायम करना था परंतु तहसील रायपुर में सेग्रीगेशन की

मुकदमा नम्बरः–6 / 2022 (2022 / 36) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बरः–7 / 2022 (2022 / 37) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बरः–8 / 2022 (2022 / 38) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बरः–9 / 2022 (2022 / 39) प्रार्थना पत्र

कार्यवाही चलने से प्रार्थी के नाम अभी तक नामान्तरण दर्ज नहीं कर प्रार्थी का अलग नम्बर व रकबा तथा खाता कायम नहीं किया गया जबकि प्रार्थी मौके पर उक्त आराजी के 0.17 हैक्ट पर निम्न पड़ौसौ के मध्य स्थित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। पूर्व में सरकारी भूमि, पश्चिम शंकरलाल नाथु की भूमि, उत्तर रायमल की भूमि, दक्षिण विक्रेता की इसी आराजी में मंजु कुमावत को विक्रय की गई आ.सं. 4706 / 4676 की 0.25 हैक्ट भूमि उक्त भूमि के 0.17 हैक्ट. भूमि के अलावा शेष रकबा में से 0.16 हैक्ट रकबा को प्रेम पिता अम्बालाल कुमावत व 0.25 हैक्ट. को मंजु पत्नी मुकेश ने पूर्व खातेदारान से क्रय कर लिया है तथा उनका कब्जा प्रार्थी के हिस्से की भूमि के दक्षिण में हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि को सुविधा की दृष्टि से राजस्व नक्शे में पीली स्याही से प्रदर्शित किया गया हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस व रजिस्ट्री की नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात संख्या 4706 / 4676 रकबा 0.17 हैक्ट में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता रायपुर से सुरास चौराया जाने वाली सड़क से विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव की बिलानाम चारागाह आराजी संख्या 344 से होकर विपक्षी संख्या एक की ग्राम बोराणा की सरकारी बिलानाम आ.सं. 4678 से होकर उसमें स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी की आ.स. 4706 / 4675 रकबा 0.17 हैक्ट. में जाता है, जिससे प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन कर अपने खेतों में फसल कास्त कर फसल लाभ ले रहा है तथा पूर्व खातेदार भी वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे थे तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर जाते थे तथा खाद आदि डालते आ रहे थे। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव की बिलानाम चारागाह आसं 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आसं 4678 में खुला हुआ हैं परंतु मौके पर कुछ असामाजिक तत्व पत्थर डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा प्रार्थी की आराजी में आवागमन के रास्ते को बंद करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव की बिलानाम चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। अतः एव श्रीमान् से सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम बोराणा की आ.सं. 4706 / 4676 रकबा 0.17 हैक्ट जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया है में आवागमन का रास्ता विपक्षी की ग्राम जगपुरा प० ह० सगरेव की बिलानाम चारागाह आ. सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ. सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को बिलानाम सरकारी गै.मु रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से राशी विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रकरण संख्या 7 / 2022 में भी प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 1347 में अंकित आ.सं. 4677 रकबा 0.50 हैक्ट कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 हैक्ट भूमि स्थित हैं तथा उक्त आराजी में से 0.25 हैक्ट भूमी केसर देवी द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिससे उक्त आराजी का 0.25 हैक्ट. का अलग स्वतंत्र नम्बर व रकबा तथा

राजस्व खाता कायम करना था परंतु केसर देवी के नाम नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का अलग नम्बर व रकबा तथा खाता कायम नहीं कर जमाबंदी में 1/2 हिस्सा कायम कर दिया। प्रार्थी मौके पर उक्त आराजी के 0.25 हैक्ट पर निम्न पड़ौसी के मध्य स्थित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। पूर्व में सरकारी भूमि, पश्चिम शंकरलाल अम्बालाल की भूमि, उत्तर विक्रेता की भूमि, दक्षिण केसर देवी की भूमि। उक्त भूमि के 0.25 हैक्ट भूमि को केसर देवी ने पूर्व खातेदारान से क्रय कर लिया है तथा उसका कब्जा प्रार्थी के हिस्से की भूमी के दक्षिण में हैं। तहसील रायपुर में सेग्रीगेशन की कार्यवाही चलने से प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के नाम दर्जनहीं हुआ हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि को सुविधा की दृष्टि से राजस्व नक्शे में गुलाबी स्याही से प्रदर्शित किया गया हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी व नक्शाट्रेस तथा रजिस्ट्री की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात संख्या 4677 रकबा 0.25 हैक्ट. में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता रायपुर से सुरास चौराया जाने वाली सड़क से विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव की चारागाह बिलानाम आराजी संख्या 344 से होकर विपक्षी संख्या एक की ग्राम बोराणा की सरकारी बिलानाम आ.सं. 4678 से होकर उसमें स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी की आ. सं. 4677 रकबा 0.25 हैक्ट में जाता हैं, जिससे प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा हैं तथा पूर्व खातेदार भी वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे थे इसी रास्ते से अपने बैल गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर जाते थे तथा खाद आदि ड़ालते आ रहे थे। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर ग्राम जगपुरा प0ह0 सगरेव की चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.स. 4678 में खुला हुआ है परंतु मौके पर कुछ असामाजिक तत्व पत्थर डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा प्रार्थी की आराजी में आवागमन के रास्ते को बंद करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के ग्राम जगपुरा की चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.स. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा की चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़ा रास्ता ही है इसके अलावा प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम सरकारी गैमु रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से राशी विपक्षी को देने को तैयार हैं। अतः एव श्रीमान् से सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम बोराणा की आ. सं. 4677 रकबा 0.25 हैक्ट में आवागमन का रास्ता विपक्षी की ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव चारागाह की आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशी विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 8/2022 में भी प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 1182 में अंकित आ.सं. 4706/4676 रकबा 0.58 हैक्ट कुल किता 1 कुल रकबा 0.58 हैक्ट भूमि स्थित हैं। उक्त आराजी में से 0.16 हैक्ट, भूमि प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिससे उक्त आराजी का 0.16 हैक्ट का अलग स्वतंत्र नम्बर व रकबा तथा राजस्व खाता कायम करना था परंतु तहसील रायपुर में सेग्रीगेशन की कार्यवाही चलने से प्रार्थी के नाम अभी तक नामान्तरण दर्ज नहीं कर प्रार्थी का अलग नम्बर व रकबा तथा खाता कायम नहीं किया गया जबकि प्रार्थी मौके पर उक्त आराजी के 0.16 हैक्ट पर निम्न पड़ौसो के मध्य स्थित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। पूर्व में सरकारी भूमि, पश्चिम शंकरलाल नाथु की भूमि उत्तर विक्रेता की आ. सं. 4706/4676 की शेष भूमि, दक्षिण विक्रेता की अणछी देवी को विक्रय की गई आ.सं 4677 की 025 हैक्ट भूमि। उक्त भूमि के 0.16 हैक्ट भूमि के अलावा शेष रकबा में से 0.17 हैक्ट रकबा को अम्बा लाल पिता मिठु कुमावत व 0.25 हैक्ट को मंजु पत्नी मुकेश ने पूर्व खातेदारान से क्रय कर लिया हैं तथा उनका कब्जा प्रार्थी के हिस्से की भूमि के उत्तर में हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि को सुविधा की दृष्टि से राजस्व नक्शे में गुलाबी स्याही से प्रदर्शित किया गया हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी व नक्शाट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात संख्या 4706/4676 रकबा 0.16 हैक्ट में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता रायपुर से सुरास चौराया जाने वाली सड़क से विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा की बिलानाम चारागाह आराजी संख्या 344 से होकर विपक्षी संख्या एक की ग्राम बोराणा की सरकारी बिलानाम आ.सं. 4678 से होकर उसमें स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी की आ. सं. 4706/4676 रकबा 0.16 हैक्ट में जाता है, जिससे प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा हैं तथा पूर्व खातेदार भी वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे थे तथा इसी रास्ते से अपने सज बैल, गाडी ट्रैक्टर आदि लेकर जाते थे तथा खाद आदि डालते आ रहे थे। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर ग्राम जगपुरा की बिलानाम चारागाह आस 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आसं 4678 में खुला हुआ है परंतु मौके पर कुछ असामाजिक तत्व पत्थर डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहें हैं तथा प्रार्थी की आराजी में आवागमन के रास्ते को बंद करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के ग्राम जगपुरा की बिलानाम चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा की बिलानाम चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़ा रास्ता ही है इसके अलावा प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम सरकारी गैमु रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से राशी विपक्षी को देने को तैयार है। अतः एव श्रीमान् से सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया

जाकर प्रार्थी की ग्राम ग्राम बोराणा की आस 4706/4676 रकबा 0.16 हैक्ट जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया है में आवागमन का रास्ता विपक्षी की ग्राम जगपुरा की बिलानाम चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को बिलानाम सरकारी गै मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से राशी विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 9/2022 में भी प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 1347 में अंकित आ.सं 4677 रकबा 0.50 हैक्ट कुल किता 1 कुल रकबा 0. 50 हैक्ट भूमि स्थित है। उक्त आराजी में से 0.25 हैक्ट भूमि प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिससे उक्त आराजी का 0.25 हैक्ट का अलग स्वतंत्र नम्बर व रकबा तथा राजस्व खाता कायम करना था परंतु प्रार्थी के नाम नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का अलग नम्बर व रकबा तथा खाता कायम नहीं कर जमाबंदी में 1/2 हिस्सा कायम कर दिया जबकि प्रार्थी मौके पर उक्त आराजी के 0.25 हैक्ट. पर निम्न पड़ौसौ के मध्य स्थित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। पूर्व में सरकारी भूमि, पश्चिम शंकरलाल अम्बालाल की भूमि उत्तर विक्रेता की भूमि दक्षिण गोपाल नायक की भूमि, उक्त भूमि के 0.25 हैक्ट भूमि को अणछी देवी पत्नी भैरूलाल कुमावत ने पूर्व खातेदारान से क्रय कर लिया है तथा उसका कब्जा प्रार्थी के हिस्से की भूमि के उत्तर में हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि को सुविधा की दृष्टि से राजस्व नक्शे में गुलाबी स्याही से प्रदर्शित किया गया हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी नक्शाट्रेस तथा रजिस्ट्री की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात संख्या 4677 रकबा 0.25 हैक्ट में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता रायपुर से सुरास चौराया जाने वाली सड़क से विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव की बिलानाम आराजी संख्या 344 से होकर विपक्षी संख्या एक की ग्राम बोराणा की सरकारी बिलानाम आ सं 4678 से होकर उसमें स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी की आ.सं. 4677 रकबा 0.25 हैक्ट में जाता है, जिससे प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा हैं तथा पूर्व खातेदार भी वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे थे तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर जाते थे तथा खाद आदि डालते आ रहे थे। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर ग्राम जगपुरा की चारागाह आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में खुला हुआ है परंतु मौके पर कुछ असामाजिक तत्व पत्थर डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा प्रार्थी की आराजी में आवागमन के रास्ते को बंद करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के ग्राम जगपुरा की चारागाह आ.सं 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ सं 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या एक की ग्राम जगपुरा की चारागाह आ.स. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ.सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़ा रास्ता ही है इसके अलावा प्रार्थी की आराजियात में

आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम सरकारी गेमु रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से राशी विपक्षी को देने को तैयार हैं। अतः एव श्रीमान् से सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम ग्राम बोराणा की आ.स. 4677 रकबा 0.25 हैक्ट में आवागमन का रास्ता विपक्षी की ग्राम जगपुरा प०ह० सगरेव चारागाह की आ.सं. 344 व ग्राम बोराणा की बिलानाम आ. सं. 4678 में स्थित 50 फिट चौड़े रास्ते को बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी. एल.सी. दर से राशी विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर चारो प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त विचाराधीन प्रकरणो में तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है एवं प्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करने से पुनः मौका निरीक्षण कराया गया जो मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली है।

विपक्षी की ओर से अपने जवाब में मुख्य कथन किया कि उपरोक्त चारो प्रकरणो में प्रार्थीगणो के द्वारा आराजी संख्या 4678 से रास्ता चाहा गया है। चारो प्रकरणो में प्रार्थी अलग अलग है विपक्षी एक ही है। प्रत्येक प्रार्थी के द्वारा जिस आराजी से रास्ता चाहा गया उस आराजी का सम्पूर्ण रकबा 0.45 है0 है प्रत्येक खातेदार द्वारा अधिकतम रास्ता चाहा जाने से एक प्रकरण में रास्ते का रकबा लगभग 0.04 है0 भूमि प्रस्तावित होती है जिसे कुल 0.16 है0 भूमि रास्ते हेतु बनती है उक्त आराजी रायपुर बाईपास डामर सड़क से कम दुरी पर स्थित है। डामरीकृत सड़क और बिलानाम भूमि के बीच चारागाह भूमि होकर पड़त पड़ी हुई है। डामरीकृत सड़क के मध्य से चारागाह एवं बिलानाम आराजी 40 मीटर की निर्धारित सीमा से सटमा है। उक्त बिलानाम आराजी मे से 0.16 है0 भूमि रास्ता देने के बाद भी 0.29 है0 भूमि शेष रहती है जो सड़क सीमा की होने से किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये काम में नही ली जा सकती है एवं भूमि की उपयोगिता भी समाप्त हो जावेगी। प्रार्थीगणो को रास्ते की अगर अति आवश्यकता है तो प्रार्थीगण सम्पूर्ण आराजी की डीएलसी दर का दुगुनी राशि कीमत राजकोष में जमा कराये जाने की शर्त पर रास्ते में दर्ज करायी जावे तो राजहित प्रभावित नही होकर किसी प्रकार की राजस्व हानि नही होगी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में भूमि की मुल्यांकन रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर से ली गई जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा उक्त वर्णित भूमि की डीएससी दर अनुसार 443723/–रूपये प्रति हैक्ट. की दर से 199675/–रूपये भूमि कीमत दर्शायी गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगणो के आवागमन हेतु जितने रकबे की भूमि पर रास्ता प्रस्तावित है उतने ही रकबे का भुगतान करने पर सहमत है। सभी अपनी आराजी के सामने रास्ता चाहते है और रास्ते के रकबे की भूमि का नियमानुसार भुगतान अदा करने को तैयार है फिर भी न्यायालय जो भी निर्णय पारित करे वो स्वीकार है।

मुकदमा नम्बरः–6/2022 (2022/36) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बरः–7/2022 (2022/37) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बरः–8/2022 (2022/38) प्रार्थना पत्र
मुकदमा नम्बरः–9/2022 (2022/39) प्रार्थना पत्र

विपक्षी की ओर से बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरणो में प्रार्थीगणो के द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो लगभग 0.16 है0 भूमि बनती है शेष भूमि भी सड़क की सीमा में होने से अन्य प्रयोजनार्थ भी काम नही आ सकती अगर प्रार्थीगणो की ओर से सम्पूर्ण भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करा कर राशि राजकोष में जमा करायी जाती है तो राजहित मे होगा। अन्यथा प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावलियो का अवलोकन कर प्रार्थीगण के अधिवक्ता एंव पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया तो पाया कि उपरोक्त चारो प्रकरणो में खातेदार प्रार्थीगण अलग अलग है और सभी प्रार्थीगण अपनी आराजी के सामने से रास्ता चाहते है प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थीगणो के द्वारा जो रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है उसका मुआवजा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के लिये तैयार है किन्तु विपक्षी की ओर से अपने जवाब और बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगणो के द्वारा जो रास्ते हेतु भूमि चाही गई है वो लगभग 0.16 है0 भूमि है शेष भूमि भी रास्ते से सटमा होने से सम्पूर्ण भूमि की राशि राजकोष में जमा करायी जाती है तो राजहित में होगा इससे पैरोकार सरकार के कथन को बल मिलता है। पैरोकार सरकार के अनुसार प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया रकबा ही रास्ते के रूप में दिया जाता है तो उचित नही है। प्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा तक के रकबे की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण इसी प्रस्तावित आराजी मे ही होकर अपनी खातेदारी भूमियों पर आवागमन कर रहे है इसके अलावा और कोई विकल्प नही है। उक्त भूमि सड़क की निर्धारित सीमा में स्थित होने से अन्य उपयोग में भी ली जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणो के प्रार्थना पत्रो व पैरोकार सरकार के कथन को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगणो के प्रार्थना पत्रो में वर्णित आराजी संख्या 4678 रकबा 0.45 है0 भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने एवं उक्त रास्ते में प्रस्तावित भूमि की निमानुसार मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराने की शर्त पर प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त प्रकरणो में प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगणो की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4678 रकबा 0.45 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 443723/–रूपये प्रति हैक्टयर होने से 199675/–रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 399350/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भुगतान सभी प्रार्थीगणो की ओर से संयुक्त रूप से राजकोष में जमा करने पर प्रस्तावित आराजी संख्या 4678 रकबा 0.45 है0 भूमि को बिलानाम रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/07/2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—6/2022 (2022/36) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अम्बालाल पिता मिठु कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः—7/2022 (2022/37) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अणछीदेवी पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः—8/2022 (2022/38) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्रेमचन्द पिता अम्बालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

मुकदमा नम्बरः—9/2022 (2022/39) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—केसरदेवी पत्नि जेठमल कुमावत निवासी चिलेश्वर का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

उक्त प्रकरणो में प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगणो की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4678 रकबा 0.45 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 443723/—रूपये प्रति हैक्टयर होने से 199675/—रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 399350/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भुगतान सभी प्रार्थीगणो की ओर से संयुक्त रूप से राजकोष में जमा करने पर प्रस्तावित आराजी संख्या 4678 रकबा 0.45 है0 भूमि को बिलानाम रास्ता के रूप में दर्ज की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

20/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा